

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2031/2016/भरतपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वृत्त-बी, भरतपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स सिमको बिड़ला लिमिटेड,  
(वर्तमान में सिमको लिमिटेड) माल गोदाम रोड़, भरतपुर

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,  
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

अनुपस्थित।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 06.09.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 24.02.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) के अन्तर्गत केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "सीएसटी" कहा जायेगा) की धारा 65 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) के तहत कायम कुल शास्ति राशि 2,99,65,948/- को अपास्त किया है।

2. अपीलार्थी के वर्ष 1997-98 के सीएसटी की धारा 9 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 02.03.2000 जो सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त राजस्थान जयपुर द्वारा पारित किया गया व उसमें बिना सी फार्म के अन्तर्राज्यीय विक्रय 74,89,99,950/- पर रेलवे वेगन विक्रय पर 10 प्रतिशत कर जमा कराया गया है जब कि दिनांक 12.03.1997 से राज्य में कर की सामान्य दर 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत किये जाने के कारण 12 प्रतिशत कर देय होने के कारण उक्त विक्रय पर 2 प्रतिशत से अन्तर कर रुपये 1,49,79,999/- आरोपित करते हुये अधिनियम की धारा 65 के तहत इस देय अन्तर कर को अपवंचित कर मानते हुये दुगनी शास्ति 2,99,59,998/- व विवरण पत्र विलम्ब से पेश करने के कारण धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति 1,680/- एवं 4,170/- कुल शास्तियां 2,99,65,948/- आरोपित की जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर शास्ति को अपास्त किया है, जिससे व्यथित होकर राजस्व की ओर से यह द्वितीय अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

2/11

11/11


3. अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई व बहस उप-राजकीय अभिभाषक एकपक्षीय सुनी गई।
4. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि की विवरणियां विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, जो करअपवंचना की मंशा जाहिर करती है। कर निर्धारण अधिकारी ने विधिसम्मत रूप से शास्ति आरोपित की है। अतः अपीलीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर कर निर्धारण अधिकारी का आदेश यथावत रखा जावे।
5. अपीलार्थी के वर्ष 1997-98 के सीएसटी की धारा 9 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 02.03.2000 जो सहायक आयुक्त, विशेष वृत राजस्थान जयपुर द्वारा पारित किया गया व उसमें बिना सी फार्म के अन्तर्राज्यीय विक्रय 74,89,99,950/- पर रेलवे वेगन विक्रय पर 10 प्रतिशत कर जमा कराया गया है जब कि दिनांक 12.03.1997 से राज्य में कर की सामान्य दर 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत किये जाने के कारण 12 प्रतिशत कर देय होने के कारण उक्त विक्रय पर 2 प्रतिशत से अन्तर कर रुपये 1,49,79,999/- आरोपित करते हुये अधिनियम की धारा 65 के तहत इस देय अन्तर कर को अपवंचित कर मानते हुये दुगनी शास्ति 2,99,59,998/- व विवरण पत्र विलम्ब से पेश करने के कारण धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति 1,680/- एवं 4,170/- कुल शास्तियां 2,99,65,948/- आरोपित की। इस प्रकार प्रकरण में धारा 65 के तहत देय अन्तर कर की दुगनी शास्ति स्पष्टतः केवल कर-दर revise हो जाने के कारण है। फर्म द्वारा रेलवे बैगान ही बेचे गये है व विक्रय बिल व विवरणियों में रेलवे बैगन की ही बिक्री दर्शाई गई है। यह नहीं है कि फर्म द्वारा बिल कम दर की वस्तु का जारी किया गया हो व बिक्रीत माल कुछ अन्य हो। इस विक्रय का जमा-खर्च की नियमित लेखा पुस्तकों में कम्पनी ऑडिट में दर्शाया गया है व किसी भी प्रकार से विक्रय सम्बन्धी कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है व विभाग को दिये गये विवरण पत्रों में भी इनका सही व पूर्ण उल्लेख है। साथ ही माह जुलाई में विभाग द्वारा नोटिस कार्यवाही प्रारम्भ की गई व दिनांक 31.08.1998 तक अन्तर कर राशि राजकोष में जमा कर दी गई व इस अन्तर कर को चुनौती भी नहीं दी गई। साथ ही अन्तर कर जमा कराने में जो 1997-98 की तृतीय व चतुर्थ तिमाहियों में देय था व 31.08.1998 को जमा कराया है इस पर आरोपित ब्याज को भी चुनौती नहीं दी गई है। स्थिति यह भी बनती है कि फर्म द्वारा घोषित बिक्री पर शास्ति आरोपण को अनुचित बताया जा रहा है व प्रकरण के सभी तथ्यों का अध्ययन करने से यही पाया जाता है कि विक्रय सम्बन्धी सभी तथ्यों का सही विवरण दिया गया है व कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्य कोई आक्षेप अथवा आरोप भी नहीं लगाया गया है, केवल दिनांक 12.03.1997 से राज्य की सामान्य कर दर 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत होने के कारण ही बिना सीफार्म के विक्रय पर सीएसटी Section 8(2) के तहत करदेयता 10 प्रतिशत के स्थान पर 12 प्रतिशत होनी थी जब कि फर्म

Bonafide belief में RST hike को CST Liability से Link नहीं कर पाई। यह महज एक Technical fault due to not linking rate revision in one Act with liability in another Act के कारण हुआ है व circumstances को देखते हुये व recent change ही होते हुये इसमें mensrea नहीं पाई जाती है। साथ ही 10 प्रतिशत व 12 प्रतिशत के अन्तर कर 2 प्रतिशत पर विलम्ब के कारण ब्याज आरोपण भी किया गया है व व्यवसायी द्वारा इसे चुनौती भी नहीं दी गई है अर्थात् फर्म द्वारा बिना सी फार्म के देय कर दर सीएसटी के Section 8(2) के तहत वह रहेगा जो राज्य में प्रचलित कर दर है व चूंकि रेलवे बैगन पृथक से सूची में नहीं दर्शाये गये है अतः रेलवे बैगन पर सामान्य कर दर के अनुरूप दिनांक 12.03.1997 से 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत वृद्धि करने से इस संव्यवहार पर 12 प्रतिशत कर देय था, किन्तु महज त्रुटि के कारण शास्ति sustainable नहीं बन जाती। व्यवहारी द्वारा माल का विवरण पूर्णतः सही बताया गया है साथ ही संव्यवहारों की प्रकृति बिना सी फार्म के होना स्वयं द्वारा घोषणा की गई संव्यवहारों का इन्द्राज नियमित लेखा पुस्तकों में नियमित प्रक्रिया में किया गया है एवं माल व विक्रय राशि भी पूर्णतः सही दी गई है व संव्यवहारों का विभाग में दायर त्रैमासिक विवरण पत्रों में पूर्णतः दर्शाई जा कर कोई तथ्य छुपाया गया नहीं है व यह भी नहीं है कि संव्यवहार दिनांक 12.03.1997 के आद घटित हुआ होने के उपरान्त 12.03.2017 से पूर्व का दर्शाये जाने का प्रयास किया गया हो व माल सम्बन्धी कोई जांच की जाकर अन्य उजागर होने की गुजाइश शून्य है। व्यवहारी द्वारा ऐसा कोई क्लेम या तथ्य पाया नहीं किया गया है जिसका सत्यापन किया जाना हो। यह Elementry and routine transactions है जिनमें कर दर की दिनांक 12.03.1997 अधिसूचना के अलावा किसी अधिसूचना, परिपत्र या रियायती दर या प्रोत्साहन स्कीम से कोई से कोई सम्बन्ध नहीं है। किसी संव्यवहार की sequence timing या अन्य कोई भी aspect/fact में कोई मोड नहीं दिया गया है अतः बिना conscious effort के कोई प्रकरण evasion या avoidance का प्रकरण नहीं बनता है। प्रकरण में न तो कोई आक्षेप कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाया गया है व इस पटल द्वारा भी avoidance या evasion का प्रयास नहीं पाया गया है। शास्ति के लिये आवश्यक है avoid यानि कुछ ऐसा किया गया हो जिसमें कम कर दर में समावेश होने का प्रयास किया गया हो। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उपरोक्त निष्कर्ष विधिसम्मत है जिनमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(<sup>महेश</sup>  
नत्थूसीम)  
सदस्य

  
( वी.श्रीनिवास)  
अध्यक्ष